कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/सॉफ्टवेयर निर्माण/18894/13–14/ दिनांकः– 18/10/13

उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा
....

विषयः–गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आरटीई पोर्टल पर अपलोड करने एवं कार्यालय स्तर पर इसका मिलान करने के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2013–14 में गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई के प्रावधानों के तहत विद्यालय में प्रवेश कक्षा में प्रविष्ट बालकों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश दिया गया जिसका विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन करवाया गया। सत्यापन दल द्वारा सत्यापन रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित विद्यालय को तथा दूसरी प्रति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) कार्यालय को दी गई। विद्यालय द्वारा सत्यापन दल से प्राप्त रिपोर्ट को आरटीई पोर्टल पर अपलोड करना था एवं संबंधित कार्यालय बीईईओ/डीईईओ(माध्यमिक) द्वारा इसका मिलान कर सही पाया गया/सहीं नहीं पाया गया क्लिक करना था। आरटीई पोर्टल पर आज दिनांक 18.10.13 तक अपलोड की गई रिपोर्ट की प्रति आपके अवलोकनार्थ प्रेषित कर लेख है कि जिला बांरा, जैसलमेर, कोटा, टोंक तथा उदयपुर की प्रगति नगण्य है।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) बांसवाडा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, गंगानगर, झालावाड, पाली, प्रतापगढ, राजसमंद, सीकर तथा चित्तौडगढ द्वारा भी अपेक्षित गति से कार्य नहीं किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि जब तक उक्त कार्य सम्पन्न नहीं जो जायेगा तब तक गैर सरकारी विद्यालय आरटीई पोर्टल पर अपना क्लेम बिल जनरेट नहीं कर सकेगें जबकि 31 अक्टूबर से पूर्व उन्हें प्रथम किस्त का भुगतान किया जाना है। अतः इस संबंध में कार्य में तेजी लाने हेतु अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें एवं इस कार्य को निर्धारित समयवधि में पूर्ण करवाने हेतु आप अपने कार्यालय स्तर से निरन्तर मोनेटरिंग करें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–1. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल जयपुर।
2 निजी सचिव, निदेशक महोदय
3 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा.........................

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर